Transportation of Soil for Private Use

*383. SH. NAYAN PAL RAWAT, M.L.A.: Will the Mines and Geology Minister be pleased to state whether it is a fact that transportation of soil on tractor trolley by farmers for private use is legal; if so, the details thereof?

MOOL CHAND SHARMA

TRANSPORT MINISTER

No, Sir. The other part of the question, therefore, does not arise.

*383 श्री नयन पाल रावत, एम0एल0ए0ः क्या खनन एवं भूविज्ञान मंत्री यह बताएंगे कि क्या यह तथ्य है कि निजी उपयोग के लिए किसानों द्वारा ट्रैक्टर पर मिट्टी का परिवहन कानूनी है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मूल चंद शर्मा

परिवहन मंत्री

नहीं, श्रीमान् जी। अतः इस प्रश्न का दूसरा भाग पैदा ही नहीं होता।

पैड के लिए नोट

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों और उसके अनुसार बनाए गए नियमों के अनुसार कृषि ट्रैक्टर का मतलब किसी भी चार पिहया वाहन से है जो विशेष रूप से विभिन्न क्षेत्रों के संचालन के लिए होता है और कृषि ट्रेलर को कृषि सामग्री मोटर वाहन परिवहन के लिए कृषि ट्रैक्टर के साथ जोड़ा जाता है। इस तरह के ट्रैक्टर ट्रेलरों / ट्रॉलियों का उपयोग पूरी तरह से कृषि सामग्री ले जाने के लिए किया जाना आवश्यक है और मिट्टी एक कृषि सामग्री नहीं है। इस प्रकार कृषि ट्रैक्टर ट्रेलर / ट्रॉलियों द्वारा मिट्टी ले जाना कृषि से संबंधित गतिविधि नहीं है।

अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1248 (ई.) दिनांक 05.11.2004 के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए कृषि ट्रैक्टर गैर परिवहन वाहनों की श्रेणी में आते हैं। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66 के तहत गैर परिवहन वाहन होने के लिए उक्त वाहनों को परिमट की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा मोटर वाहन नियम 52क के अनुसार हरियाणा राज्य में किसानों को ट्रैक्टर कंबाईन हार्वेस्टर के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए शुल्क के भुगतान से छूट दी जाती है।

इसके अलावा हरियाणा मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 2016 के खंड 16 के अनुसार कृषि ट्रैक्टर, कृषि ट्रेलर तथा अन्य कृषि मशीनरी को मोटर वाहन कर के भुगतान के लिए छूट दी गई है।

NOTE FOR THE PAD

As per the provisions of Motor Vehicles Act 1988 and rules made thereunder, the agricultural tractor means any four wheeled vehicle specifically meant for various field operations and an Agricultural Trailer is attached with the Agricultural Tractor for Transporting Agricultural Material.

Such tractor trailers/trolleys are required to be used solely for carrying agricultural materials and soil is not an agricultural material thus carrying of soil by agricultural tractor trailer/trolleys is not an agricultural related activity.

As per notification bearing no. S.O.1248(E) dated 05.11.2004 issued by the Central Government, the Agricultural Tractors fall in the category of Non Transport Vehicles. The said vehicles are not required to have permit under section 66 of the Motor Vehicles Act being Non Transport Vehicles. As per rule 52-A of the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993 exemption from the payment of fees for the issue and renewal of certificate of registration of tractors/combine harvesters has been given to the farmers in the state.

Besides above, as per section 16 of the Haryana, Motor Vehicles Taxation Act, 2016 the Agricultural Tractor, Agricultural Trailer and other Agricultural Machinery is exempted from the liability of payment of Motor Vehicle Tax.